दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित: 21 अक्टूबर, 2013
निर्णीत: 19 नवंबर, 2013

आप.अ. 473/2000

अनिल तनेजा व अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री के.बी.एंडले, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री एम.एल.यादव, श्री लोकेश चंद्र और श्री.एम.शमीख, अधिवक्तागण

बनाम

दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री. लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.

कोरमः
न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

एस.पी.गर्ग, न्या.

1. अनिल तनेजा (अ.-1) और मदन लाल (अ.-2) ने सत्र वाद संख्या 112/1998 में पु.था. मोती नगर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 256/1998 में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 17 जुलाई, 2000 के निर्णय द्वारा उन्हें क्रमशः धारा 304 और 323 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया। इसके अतिरिक्त, अ.-1 को धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। दिनांक 19.07.2000 के आदेश

द्वारा, अ.-1 को जुर्माने के साथ विभिन्न कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि अ.-2 को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। अभिलेख से अभियोजन पक्ष का मामला निम्नानुसार सामने आया:

2. दिनांक 26.06.1998 को लगभग 12.30 बजे दुकान सं. 26-27, सब्जी मंडी, मोती नगर में श्याम सुन्दर को अपनी दुकान पर जुआ खेलने की अनुमति देने के कारण अपीलार्थीगण और मुन्ना के बीच झगड़ा हुआ। उक्त झगड़े में अ.-2 ने मुन्ना के सिर पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया तथा उसके कहने पर अ.-1 ने मुन्ना की हत्या करने के इरादे से लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया और गोली पास में खड़े गुरुस्वामी को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान अ.-1 और अ.-2 को गिरफ्तार कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अपराध के हथियार यानी रिवॉल्वर और डंडा बरामद कर लिया गया। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद दोनों अपीलकर्ताओं के विरूद्ध धारा 302/307/34 भा.दं.सं. के तहत अपराध करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। 18.02.1999 के आदेश द्वारा उन पर धारा 304/323 भा.दं.सं. के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। अ.-1 पर धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया। अपने 313 बयानों में, अपीलार्थीगण ने अपराध में

अपनी मिलीभगत से इनकार किया और दावा किया कि वे अ.सा.-3 (जगदीश लाल) के हाथों पीड़ित थे, जो इलाके में जुआ का अड्डा चला रहा था और श्याम सुंदर को वहां जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करता था। जब उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार को बिगाड़ने के लिए उससे (अ.सा.-3 जगदीश लाल) आपत्ति की, तो वह नाराज हो गया और 26.06.1998 को, जब वे अपनी दुकान बंद करके लौट रहे थे, तो उसने और उसके साथियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनकी रिवॉल्वर लूटने का भी प्रयास किया और हाथापाई में फायरिंग हुई। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। इन सभी बातों और पक्षों के तर्क पर विचार करने के बाद विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अ.-1 को धारा 304 भाग I आईपीसी तथा धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत अपराधी माना जबकि अ.-2 को केवल धारा 323 भा.दं.सं. के तहत दोषी माना। धारा 304 आईपीसी के तहत अ.-2 को बरी किए जाने के विरूदध राज्य द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है।

3. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का परीक्षण किया है। अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.बी.एंडले ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को उसके सही तथा उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा तथा अपीलार्थीगण को उस अपराध के लिए दोषी

ठहराने में गंभीर गलती की, जिसे करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अपीलार्थीगण की गुरुस्वामी से कोई दुश्मनी नहीं थी कि वे उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या करे। यह घटना आकस्मिक प्रकृति की थी। अपीलार्थीगण के शरीर पर लगी चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि अ.सा.-4 (मुन्ना) ने अभियोजन का समर्थन करने का विकल्प नहीं चुना तथा पूरी तरह से अपने बयान से पलट गया। अ.सा.-3 (जगदीश लाल) तथा अ.सा.-5 (सुभाष) अविश्वसनीय गवाह हैं, क्योंकि वे जुआ अड्डा चला रहे थे तथा उनकी अपीलार्थीगण से पहले से दुश्मनी थी। उन्होंने उदार दृष्टिकोण अपनाने और अ.-1 को हिरासत में बिताए गए समय के लिए रिहा करने के लिए वैकल्पिक तर्क अपनाया। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों का राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जिन्होंने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने माना था कि बचाव पक्ष ने अ.सा.-3 (जगदीश) और अ.सा.-5 (सुभाष) के साक्ष्य से ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है जिससे उक्त गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास न किया जा सके। आरोपित निर्णय साक्ष्य के उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. गुरुस्वामी की हत्या की गई थी, जो घटनास्थल पर लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया

था। अ.सा.-11 (डॉ. के.के. कुमरा) ने 26.06.1998 को डॉ. रविंदर कुमार द्वारा तैयार एमएलसी (प्र.अ.सा.-11/ख) साबित किया। अ.सा.-19 (डॉ. कोमल सिंह), शव परीक्षण सर्जन ने पोस्टमार्टम परीक्षा रिपोर्ट (प्र.अ.सा.-19/क) साबित की, जिसमें मौत का कारण दोनों फेफड़ों में गोली लगने के कारण रक्तस्रावी झटका बताया गया था। सामान्य प्रकृति में चोट मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। बाहरी जांच में शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं।:-

(i) बांह के दाहिने तरफ बगल के पास 1.5 सेमी x 05 सेमी का एक घाव मौजूद है।

(ii) 0.7 सेमी **X** 0.7 सेमी का एक घाव गोलाकार आकार का काला छल्ला उसके चारों ओर मौजूद था। यह बाएं निप्पल से 10.1 सेमी ऊपर और पार्श्व में था।

अ.सा.-4 (मुन्ना) ने विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि गुरुस्वामी की मौत गोली लगने से हुई। अ.सा.-3 (जगदीश लाल) और अ.सा.-5 (सुभाष), जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ने उनकी हत्या साबित कर दी है।

5. यह सच है कि अपीलार्थीगण की गुरुस्वामी के विरूद्ध कोई दुश्मनी या शिकायत नहीं थी जिससे उन्हें चोट लग जाए। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अ.-1 ने मुन्ना पर अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाई और जब

निशाना चूक गया, तो वह गुरुस्वामी को लगी जो पास में काम कर रहा था और जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। जाहिर है, इस मामले में धारा 301 भा.दं.सं. के तत्व आकर्षित होते हैं। राजबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एआईआर 2006 एससी 1963 में धारा 301 भा.दं.सं. के दायरे की जांच की गई और शंकरलाल कच्चाभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य 1965 क्रि एलजे 266 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया था।

> *".....यह अंग्रेजी लेखकों द्वारा वर्णित द्वेष के हस्तांतरण या उद्देश्य के स्थानांतरण के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है। धारा के तहत यदि क, ख को मारने का इरादा रखता है, लेकिन ग को मार देता है, जिसकी मृत्यु का न तो वह इरादा रखता है और न ही वह खुद जानता है कि वह ऐसा करने की संभावना रखता है, तो ग को मारने का इरादा कानूनन उसी का माना जाएगा। यदि क, ख पर निशाना साधता है, लेकिन ख चूक जाता है क्योंकि ख गोली की सीमा से बाहर चला जाता है या क्योंकि गोली निशाने से चूक जाती है और किसी अन्य व्यक्ति ग को लगती है, चाहे वह दृष्टि के भीतर हो या दृष्टि से बाहर, धारा 301 के तहत ग को मारने के इरादे से मारा गया माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 301 को लागू करने के लिए क का ग की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए या यह ज्ञान नहीं होना चाहिए कि वह ग की मृत्यु का कारण बनने की संभावना रखता है....."*

इस मामले में, यह तथ्य कि गुरुस्वामी को चोट पहुँचाने की कोई मंशा नहीं थी और उन्हें दुर्घटनावश मारा गया था, कोई फ़र्क नहीं डाल सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अ.-1 ने अ.सा.-4 (मुन्ना) को मारने के प्रयास में आग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने का इरादा किया था लेकिन जैसे ही वह (अ.सा.-4 मुन्ना) झुका, गोली गुरुस्वामी को लगी। हालाँकि शुरू में दुर्भावना अ.सा.-4 (मुन्ना) पर केंद्रित थी, हालाँकि, निशाना चूक जाने के कारण, इससे गुरुस्वामी की मृत्यु हो गई और इस प्रकार यह दुर्भावना के हस्तांतरण का मामला था। इस प्रकार, अपीलार्थी गुरुस्वामी की मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते क्योंकि ऐसा कभी इरादा नहीं था।

6. अपीलार्थीगण के अपराध का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण गवाही अ.सा.-3 (जगदीश लाल) की है, जिसने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में घटना में उन्हें जिम्मेदार ठहराया और विशेष भूमिका सौंपी और अ.-1 को मुन्ना पर उसके पिता (अ.-2) के कहने पर अपने पास मौजूद आग्नेयास्त्र से तीन बार गोली चलाने का दोषी ठहराया। मुन्ना संयोग से गोली लगने से बच गया और डोसा की दुकान पर काम करने वाले गुरुस्वामी की छाती पर गोली लगी और उसकी मौत हो गई। अ.-2 ने मुन्ना के सिर पर डंडे से चोट पहुंचाई थी। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की लेकिन इस बात से इनकार किया कि वह अ.-2 के छोटे

भाई श्याम सुंदर को अपनी दुकान पर जुआ खेलने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार था। उसने बताया कि डेलार की दुकान के सामने फुटपाथ पर जुआ चल रहा था। उसने इस बात से इनकार किया कि वे जुआ अड्डा चला रहे थे या श्याम सुंदर के परिवार के सदस्यों ने उनसे शिकायत की थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि जब आरोपी दुकान से लौट रहे थे, तो उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया और उन्हें घायल कर दिया गया। इस गवाह के बयान के अवलोकन से पता चलता है कि घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कैसे और किन परिस्थितियों में अ.-1 के पास मौजूद लाइसेंसी रिवॉल्वर चालू हो गई और उससे तीन गोलियां चलाई गईं। अपीलार्थीगण ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने निजी बचाव के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए गोलियां चलाई थीं। उन्होंने कथित चोटों के लिए किसी हमलावर के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। यह भी स्पष्ट नहीं है कि गोलियां किस पर चलाई गईं या हमलावर किसी हथियार से लैस थे। इस तर्क को नकारते हुए विचारण न्यायालय ने पैरा 33 में कहा

> *"अब आत्मरक्षा के तर्क पर आते हैं, दोनों आरोपियों की एमएलसी देखने के बाद, यह न्यायालय उनके द्वारा हमला किए जाने के बयान को उनकी बेबुनियाद कल्पना मानती है। पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों की चोटों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। उन्हें लगी चोटें ऐसी हैं,*

जो परिस्थितियों में बिल्कुल स्वाभाविक थीं, आरोपियों द्वारा ही सृजत हैं और उन्हें दी गई परिस्थितियों में मामूली माना जाना चाहिए। आरोपियों ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि किस व्यक्ति ने उन पर और किस तरीके से हमला किया। आत्मरक्षा में गोली चलाने के तर्क को नकारा जाना चाहिए। सबसे पहले, उनके इस दावे में कोई ठोस सबूत नहीं दिखता कि वे हमले के शिकार थे। इसके बजाय, दोनों ही हमलावर साबित हुए हैं। निजी बचाव का स्वघोषित गलत अधिकार दी गई परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं उठता। मुन्ना या अ.सा.-3 या किसी अन्य बेनाम और अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध ऐसा कोई अधिकार पहले से ही मौजूद नहीं था और मृतक गुरुस्वामी तक इस तरह के गैर-मौजूद अधिकार का विस्तार होने का सवाल ही नहीं उठता। विद्वान अधिवक्ता का तर्क कम से कम हास्यास्पद रूप से दयनीय प्रतीत होता है। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य संबंधी मानदंड निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए चोट लगने की गंभीरता की एक दूर की संभावना को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी आशंका के सबूत के अभाव में इस सवाल पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता कि अधिकार का उल्लंघन किया गया था या नहीं। बेशक, शुद्ध कानूनी शब्दों में अगर मुन्ना या अ.सा.-3 या अ.सा.-5 के विरूद्ध कोई अधिकार लागू होता, तो वह गरीब मृतक गुरुस्वामी जैसे किसी भी निर्दोष व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध होता।"

7. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अ.सा.-5 (सुभाष) ने बिना किसी बड़े बदलाव के अ.सा.-3 के बयान की पूरी तरह पुष्टि की। उसने अ.-1 का नाम भी लिया

जिसने मुन्ना पर गोली चलाई जो बच गया लेकिन गुरुस्वामी निशाना बन गया और उसकी मौत हो गई। प्रतिपरीक्षा में, घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी पर अविश्वास करने के लिए कोई भौतिक विरोधाभास नहीं पाया जा सका। अ.सा. 3 और 5 दोनों की घटना में अपीलार्थीगण को गलत तरीके से फंसाने के लिए कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी। केवल इसलिए कि अ.सा.-3 का आपराधिक इतिहास था और वह कुछ आपराधिक मामलों में शामिल था, यह किसी भी भौतिक विसंगतियों या विरोधाभासों की अनुपस्थिति में न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा दिए गए बयान को बदनाम नहीं करता है। वास्तव में, अपने 313 बयानों में, अपीलार्थीगण ने गोलीबारी की घटना को स्वीकार किया है लेकिन तीन बार लाइसेंसी आग्नेयास्त्र के उपयोग के लिए उचित औचित्य प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। वाद के दौरान निजी बचाव के अधिकार का कोई विशेष तर्क नहीं दिया गया और वे यह भी साबित नहीं कर पाए कि निहत्थे व्यक्ति पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाना उचित था या निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग कानून में उचित और अनुमेय था। अ.सा.-4 (मुन्ना) के साथ प्रारंभिक टकराव श्याम सुंदर को अ.सा.-3 की दुकान पर जुआ खेलने की अनुमति देने को लेकर हुआ था। उक्त झगड़े में ए1 ने मुन्ना पर गोली चलाई। स्वाभाविक है, अ.-1 की मंशा अपने कब्जे में मौजूद आग्नेयास्त्र से बार-बार मुन्ना को खत्म करना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गुरुस्वामी के महत्वपूर्ण अंगों पर दो घातक घाव हुए हैं। एक गोली हवा में चलाई गई

थी। मुन्ना का सौभाग्य था कि वह बच गया लेकिन गुरुस्वामी शिकार बन गया। यह सच है कि अ.सा.-4 (मुन्ना) मुकर गया और उसने कुछ कारणों से अभियोजन पक्ष का समर्थन करने का विकल्प नहीं चुना। उसने पूरी तरह से पलटी मार ली; अपीलार्थी की घटना में संलिप्तता से इनकार किया और बिना नाम लिए एक रिक्शावाले से झगड़े में घायल होने की नई कहानी पेश की। उन्होंने प्र.अ.सा.-4/ए पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए जो प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार बने। स्वाभाविक है कि अ.सा.-4 ने पुलिस को दिए गए पिछले बयान से पलटते हुए अपीलार्थी को बाहरी कारणों से फंसाया। उनके साक्ष्य को बाहर करने से अ.सा.-3 और 5 की ठोस और विश्वसनीय गवाही और सीएफएसएल रिपोर्ट प्रभावित नहीं होगी। किसी व्यक्ति को केवल एक साक्ष्य की गवाही के आधार पर दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, अगर उसका संस्करण स्पष्ट और विश्वसनीय है, क्योंकि सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए। अ.सा.-4 को अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी के सभी प्रासंगिक तर्कों पर विचार किया गया और वैध कारणों से विवादित निर्णय में निपटा गया। यह निर्णय साक्ष्यों के निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दोषसिद्धि पर विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है। निर्विवाद रूप से, अ.-1 को दी गई दस वर्ष की कठोर कारावास की

सजा अत्यधिक है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। अ.-1 के नाममात्र रोल से पता चलता है कि वह 07.10.2002 तक तीन वर्ष, दो महीने और दो दिन तक हिरासत में रहा और तीन महीने और 14 दिन की छूट भी प्राप्त की। वह किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था और उसका पिछला रिकॉर्ड साफ था। उसका समग्र जेल आचरण संतोषजनक था। घटना वर्ष 1998 की है। 09.01.2002 के आदेश द्वारा जमानत पर विस्तार के बाद, ऐसे किसी भी आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता सामने नहीं आई। उसे 27.11.2001 के आदेश द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बीए (बीडीपी) परीक्षा देने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। गोलीबारी की घटना तब हुई जब वह और उसके पिता अ.सा.-3 (जगदीश लाल) और उसके कर्मचारी (अ.सा.-4 मुन्ना) को उनके करीबी रिश्तेदार श्याम सुंदर को उनके घर पर जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनौती देने गए थे। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए 3 लाख रुपये के मुआवजे की राशि तब से जमा कर दी गई है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सजा के आदेश को संशोधित किया जाता है और अ.-1 की मूल सजा को धारा 304 भाग आईपीसी के तहत दस साल से घटाकर छह साल कर दिया जाता है। सजा के आदेश की अन्य शर्तों को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है।

8. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। अ.-1 को शेष सजा काटने के लिए 26.11.2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। रजिस्ट्री विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को तुरंत प्रेषित करेगी।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

19 नवंबर, 2013
एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*